पीठासीन अधिकारी :– श्योराम वर्मा (आरएएस)

प्रकरण संख्या :– 14/2017

1. गंगा सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति मजबी साकिन 24 एएस सी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

–प्रार्थी–

बनाम।

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना।

–अप्रार्थी–

उपस्थितः–

1. श्री सुभाष कटारिया एड0 प्रार्थी की ओर से।
2. पेरोकार राज।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांकः– 27.03.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम से तहसील घड़साना के चक 14 केएनडी ए के प0न0 230/15 मु0न0 1 के कि0न0 1 ता 25 की कुल 25 बीघा कृषि भूमि मुस्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी की प्रमाणित संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के पिता का देहांत हो चुका है। प्रार्थी के पिता की बहिनों द्वारा उक्त भूमि में से अपने अपने हिस्सा की दस्तारबंदी दिनांक 15.02.2006 को जब प्रार्थी के पिता व अन्य के नाम से पंजीबद्ध करवाई गई तब उक्त दस्तारबंदी में प्रार्थी के पिता का सही नाम गुरनाम सिंह दर्ज था एवं प्रार्थी के पिता के समस्त पहचान संबंधी दस्तावेजों में भी प्रार्थी के पिता का नाम गुरनाम सिंह है जो सही है। लेकिन दस्तारबंदी का इंतकाल दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम गुरनाम सिंह की जगह गुरभान सिंह दर्ज कर दिया गया जो कि कतई गलत दर्ज किया गया है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी ने उक्त दुरस्ती बाबत अप्रार्थी से निवेदन किया तो उन्होने कहा कि उपरी अदालत से आदेश लेकर आओ तभी दुरस्ती करेगें। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि तहसील घड़साना के चक 14 केएनडी ए के प0न0 230/15 मु0न0 1 के कि0न0 1 ता 25 की कुल 25 बीघा कृषि भूमि की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता के गलत दर्ज नाम गुरभान सिंह की जगह सही नाम गुरनाम सिंह दुरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड किये जाने के आदेश फरमावें।

अधिकारी

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस लब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि र्थना पत्र की मद सं0 1 रिकार्ड के अंकन की सीमा तक स्वीकार है। मद सं0 अस्वीकार है। जमाबंदी का वर्तमान अंकन नामान्तकरण के फैसल के अनुरूप होने के प्रकरण लिपीकीय भूल का नही है। प्रार्थी यदि नामातंकरण के सल से अंसतुष्ट है तो नियमानुसार नामांतकरण फैसले के विरूद्ध अपील की सकती है। प्रकरण धारा 136 के अंतर्गत नहीं आता है। अतः काबिल ारिज है। प्रार्थना पत्र की मद सं0 3 अस्वीकार है। प्रार्थी ने इस बिन्दु को द्ध करने के हेतु कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः कपोल कल्पित है। र्थना पत्र मय खर्च काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 कानूनी है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया या। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मृत्यू प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत 12 केएनडी ायत समिति घड़साना दिनांक 28.04.2015 वारीसान प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम ायत 17 केएनडी ए दिनांक 05.12.2005 वारीसान तस्दीक ग्राम पंचायत 17 एनडी ए (खानूवाली) दिनांक 01.10.2010 आधार कार्ड पहचान पत्र में नाम नाम सिंह ही है। दस्तावेज दस्तारबंदी उपपंजीयक घड़साना से पंजीयन ांक 15.02.2006 में भी गुरनाम सिंह वगैरह पि0 मेहर सिंह जमाबंदी चक 4 एनडी सम्वत् 2071–74 में खाता सं. 10 में गुरनाम सिंह वगैरह पि0 मेहर सिंह दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम गुरनाम सिंह ही है। दस्तावेज दस्तारबदी जिसके आधार पर ंकाल दर्ज किया गया। वह वर्तमान जमाबंदी तैयार की गई में भी प्रार्थी के पिता का नाम गुरनाम सिंह दर्ज है लेकिन लिपिकीय त्रुटिवश वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम गुरनाम सिंह की गुरभान सिंह दर्ज हो गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

::आदेश::

लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 12 केएनडी ए के प0न0 230/15 मु0न0 1 के 25 बीघा कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम गुरभान सिंह की जगह दुरस्त कर गुरनाम सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है व अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है किवह उपरोक्तानुसा दुरस्ती का अंकन राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।